

राजस्थान सरकार  
न्याय विभाग

क्रमांक: प.2(2) सामान्य/न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 20.02.2018

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव  
शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर  
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषय:—न्यायिक प्रकरणों में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बेंच द्वारा पारित निर्णय के आदेशों का लाईट्स सॉफ्टवेयर में लिंक उपलब्ध होने बाबत।


महोदय/महोदया,

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा न्यायिक प्रकरणों में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बेंच द्वारा पारित निर्णय के आदेशों को लाईट्स सॉफ्टवेयर में उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बेंच द्वारा पारित निर्णय के आदेशों का वेब लिंक प्राप्त कर लाईट्स सॉफ्टवेयर में "High court service" के रूप में उपलब्ध करवा दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय


  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक—एफ.15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2017/40568-917 जयपुर, दिनांक: 12-3-18

1. प्रभारी अधिकारी वाद, मुख्यालय एवं उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान को भेजकर लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग से प्राप्त पत्र अनुसार वांछित पालना किया जाना सुनिश्चित करे।
2. उप शासन सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपनिदेशालय

  
अति निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर